खण्ड विकास अधिकारी मौ0पुर देवमल (बिजनौर)
जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	बिन्दू		बिन्दूवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्य और कर्त्तव्य		इस संगठन का नाम विकास खण्ड मौ0पुर देमवल बिजनौर है। इसका कार्यालय विकास भवन बिजनौर के निकट है। कार्यालय द्वारा गरीबी उन्मूलन व रोजगार परक योजनाओं का संचालन किया जाता है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य		इस संगठन में एक अधिकारी द्वितीय श्रेणी तथा 23 कर्मचारी कार्यरत हैं। संगठन के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख क्षेत्र पंचायत दायित्वों का निर्वाहन करते हैं। कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग कर सरकार द्वारा समय–समय पर लागू की जा रही योजनाओं का शासकीय कार्याहित में कर्त्तव्यपरायणता से पूरा कराते है।
3	विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।		विकास खण्ड पर खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारीगण, अवर अभियन्तागण, कार्यालय सहायकगण, ग्राम विकास अधिकारीगण ग्राम पंचायत अधिकारीगण, जीप चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गण एवं स्वीपर कम चौकीदार आदि कार्यरत हैं। ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों का सहायक विकास अधिकारी गण एवं अवर अभियन्ता पर्यवेक्षण करते है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास कार्यों के पर्यवेक्षण के साथ विभिन्न विभागों के मध्य सामन्जस्य स्थापित भी किया
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा निर्धारित माप मान।		कार्यालय राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करता है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।		कार्यालय राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करता है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में है।		संगठन की समस्त योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

क्र0सं0	बिन्दू		बिन्दूवार सूचना
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निम्रण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।		क्षेत्र पंचायत की बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा की जाती है एवं उनको कार्यान्वित किया जाता है।
8	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो ओर जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये किये गये हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिये सुलभ है।		क्षेत्र पंचायत की बैठक।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।		इस संस्था के कर्मचारी राज्य सरकार नियंत्रण में उनके मार्ग निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य करते है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।		संलग्न–1 पर उपलब्ध है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।		बजट का आवंटन करने हेतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती है। मात्र राज्य वित्त एवं बारहवें वित्त द्वारा प्राप्त धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों का निर्धारण क्षेत्र पंचायत की बैठक में होता है।

क्र0सं0	बिन्दू		बिन्दूवार सूचना
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की नीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है।		इन्दिरा आवास योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, महामाया आवास योजना हेतु गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची से चयन किया जाता हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतें, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारियों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां		संगठन द्वारा इस प्रकार की कोई छूट उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।
14	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।		विकास खण्ड द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों का संकलित कर समय से भेजी जाती है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।		वाचनालय नागरिकों के लिए उपलब्ध है परन्तु पुस्तकें अत्यधिक पुरानी होने के कारण जनता की उसमं रूचि नहीं है।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ		पंचायत राज सम्बन्धित सूचनाएं प्रदान करने के लिए जन सूचना अधिकारी श्री अनिल कुमार सहायक विकास अधिकारी (पं.) व ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं प्रदान करने के लिए सहायक विकास अधिकारी (सां.) कार्यालय दूरभाष–01342–260690, निवास का पता बी.ओ. –2/6 आफिसर कालोनी कलैक्ट्रट परिषद, बिजनौर।

खण्ड विकास अधिकारी
मौ0पुर देवमल (बिजनौर)